न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 3/2017 **दायरा दिनांक : 04.01.2017**

उनवान

काली बाई आयु 52 वर्ष पुत्री श्री धन्ना लाल पत्नी श्री रामकल्याण, जाति बैरवा, निवासी ग्राम कनोटिया हाल निवासी आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– गोपीलाल पुत्र धन्नालाल, जाति बैरवा (चमार), निवासी ग्राम कनोटिया हाल निवासी आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां

2– तुलसाबाई पत्नी छोटूलाल, जाति बैरवा (चमार), निवासी ग्राम कनोटिया हाल निवासी आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां

3– राजू पुत्र श्री छोटूलाल, जाति बैरवा (चमार), निवासी ग्राम कनोटिया हाल निवासी आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां

4– लेखराज पुत्र श्री छोटूलाल, जाति बैरवा (चमार), निवासी ग्राम कनोटिया हाल निवासी आटोन, तहसील अटरू, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 112/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने एक दावा राजस्थान सरकार के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कनोटिया, तहसील अटरू में जमाबंदी सम्वत 2037–40 के अनुसार खसरा नम्बर 370 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 630 रकबा 8 बीघा कुल 2 किता की 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी धन्ना वल्द भागा के खाते में दर्ज है । खातेदार धन्ना का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण हैं । प्रतिवादी ने इस आराजी के नये खसरा नम्बर 423 रकबा 2.05 हेक्टर कायम कर किस्म बजंड खाता सरकार दर्ज कर दी । नवीन खसरा नम्बर 404 लगायत 410, 414 और 419 जो पुराने खसरा नम्बर 630 से बने हैं जिनके खसरा नम्बर 634 से बनना बताया है इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 634 के शेष नम्बर पुराने खसरा नम्बर 630 से बनना बताया है । सैटलमेंट का यह इन्द्राज गलत है । हाल खसरा नम्बर 423 पुराने खसरा नम्बर 630 से बना है । वादीगण वर्तमान खसरा नम्बर 423 रकबा 2.05 हेक्टर आराजी पर अपने पिता, ससुर और दादा के स्वर्गवास के बाद से काबिज काश्त है अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण को नये खसरा नम्बर 423 रकबा 2.05 हेक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और दिनांक 10.03.2016 को दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने दावा हक घोषणा का पेश किया है । वादग्रस्त आराजी धन्ना के खाते की है और धन्ना की अपीलांट पुत्री है इस कारण वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है । आराजी पुश्तैनी है जो अपीलांट को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है । अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.10.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से आराजी को बंजड खाता सरकार दर्ज किया था । आराजी धन्ना के खाते की थी । काली बाई धन्ना की वारिस है । गलत रूप से नाम हटाया गया है । धन्ना की वारिस होने के कारण 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से पक्षकारान को सुनवायी का अवसर

प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट ने धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि वह धन्ना की पुत्री होने के नाते हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये । अपने इस कथन के समर्थन में अपीलांट ने नकल जमाबंदी सम्वत 2072–75 ग्राम कनोटिया खाता संख्या 117 पुराना 113 पेश की है, जिसमें काली बाई को धन्ना की पुत्री बताते हुए 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्शाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में जो नकल जमाबंदी पेश की गई है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी धन्ना वल्द भागा के खाते में दर्ज है और दावे में मद संख्या 2 में वादीगण ने स्वयं को धन्ना का वारिस बताया है परन्तु इसमें काली बाई का नाम अंकित नहीं किया है । अपीलांट धन्ना की पुत्री होने के नाते प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः उनके द्वारा पेश किये गये 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था जबकि धन्ना की पुत्री होने के नाते वो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हे और उनको सुनवायी का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही विधिक निर्णय पारित किया जा सकता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बहेसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा